POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 08.12.2025

1. थाना साइबर क्राइम व थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा मल्टी नेशनल कंपनियों में जॉब/प्लेसमेंट दिलवाने के नाम पर बेरोजगार युवाओ से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **08.12.2025** को **थाना साइबर क्राइम व थाना फेस-1 नोएडा पुलिस** द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से मल्टी नेशनल कंपनियों में जॉब/प्लेसमेंट दिलवाने के नाम पर बेरोजगार युवाओ से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड साइबर अपराधी विशाल कुमार पुत्र उमेश कुमार को सेक्टर-2 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 लैपटॉप, 03 चैकबुक, 03 पासबुक, 19 डेबिट कार्ड, 29 सिम कार्ड, 30 मोबाइल फोन व 172 वर्क कालिंग सम्बन्धित डाटा बरामद किया गया है।

यह गिरोह फर्जी मेल आईडी, कॉल लेटर एंव अपॉइंटमेंट बॉड जैसे दस्तावेजो का उपयोग करते हुए लोगो से कमीशन के नाम पैसे ऐठता था।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि कॉल सेन्टर के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को काल करके उनके मल्टिनेशल कम्पनी में नौकरी दिलाने का लालच देकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 4 हजार से 25 हजार रूपये की ठगी की जाती थी। विभिन्न कम्पनियो के नाम पर फर्जी ईमेल आईडी तैयार कर लोगों को ऑफर लेटर भेजकर उनसे प्लेसमेन्ट के नाम पर विभिन्न फर्जी बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर कराते थे। अभियुक्त, द्वारा करीब 10 से अधिक फर्जी बैक खातो में बेरोजगार युवको से लेनेदेन करते थे, जिन खातो में लाखो रूपये फ्रीज किये गये है।

अभियुक्त का विवरण--

विशाल कुमार पुत्र उमेश कुमार निवासी दिल्ली उम्र 23 वर्ष शिक्षा BA

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 0139/2025 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 340(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा 66क् आई.टी. एक्ट, थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 लैपटाप
2. 03 चैकबुक

3. 03 पासबुक
4. 19 डेबिट कार्ड
5. 29 सिम कार्ड
6. 30 मोबाइल फोन
7. 172 वर्क कालिंग सम्बन्धित डाटा (नाम, मोबाईल नम्बर, मेल आईडी)

साइबर जागरूकता संदेश- नौकरी/जॉब ऑफर के नाम पर कोई अज्ञात व्यक्ति कॉल/ई-मेल कर पैसा मांगे तो सावधान रहें, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित करें।कभी भी अपना बैंक विवरण, ओटीपी, आधार, पैन या डेबिट कार्ड डिटेल अज्ञात व्यक्ति को न दें। साइबर ठगी की किसी भी घटना पर तुरंत हेल्पलाइन नम्बर 1930 डायल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

2. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा गाड़ी दिलाने के नाम पर धोखाधडी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **08.12.2025** को **थाना बीटा-2 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से गाड़ी दिलाने के नाम पर धोखाधडी करने वाला एक अभियुक्त मौ0 आशु पुत्र मौहम्मद जफरुदीन क़ो थाना क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है।

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसका एक गिरोह है। यह धोखाधडी करके सस्ते दामो में लग्जरी गाडियां दिलाने के नाम पर धोखाधडी करके अवैध धन अर्जित करते है। अभियुक्त व इसके साथियों के विरुद्ध गाड़ी दिलाने के नाम पर धोखाधडी कर ठगी करने के दो अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त का विवरण-- मौ0 आशु पुत्र मौहम्मद जफरुदीन निवासी हयात एन्कलेव, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 543/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)बीएनएस थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 511/25 धारा 316(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/111 बीएनएस थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 292/25 धारा 318(4)/316(2)/351(2) बीएनएस थाना लिंक रोड गाजियाबाद थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।